उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 1337 / N.OC / 2021 दिनाँक 25/11/21
Ref. No .... Date ....

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी शस्त्र
कृते जिला मजिस्ट्रेट,
महोबा।

इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

विषय– गाटा संख्या –568ए 577 **(MDR 15B)**, ग्राम–जार्डन गंज, तहसील–चरखारी, जनपद–महोबा पर बी साइट किसान सेवा केन्द्र (न्यू रिटेल आउटलेट) इण्डियन आयल की स्थापना हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 261 / श0लि0–बीस–रिटेल आउटलेट / 2021 दिनांक 22.10.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट स्वीकृत हेतु स्थल का चयन उनके विभागीय उपविधियों के मार्गदर्शन सिद्धान्त के अनुरूप विभागीय विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है तथा रिटेल आउटलेट हेतु भण्डारण टैंक तथा सप्लाई मशीनरी का अधिष्ठापन एक्स्प्लोसिस विभाग भारत सरकार की गाइड लाइन्स तथा अनुमोदित मानचित्र के अनुरूप बाध्यकारी होता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण वृद्धि की सम्भावनाओ के दृष्टिकोण से अनुश्रवण एवं अधिनियमान्र्तग प्रख्यापित प्राविधानो की अनुपालनात्मक कार्यवाही की जाती है इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के संलग्न मैप के साइट लोकेशन मैप अनुसार इस कार्यालय द्वारा निरीक्षण दिनांक 08.11.2021 को कराया गया जिसके अनुसार प्रश्नगत इण्डियन ऑयल कार्पोरिशन द्वारा अधोलिखित शर्तो का अनुपालन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुनिश्चित किया जाना बाध्यकारी है।

- इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन परिसर में आफीसियल,कार्मिक,जन सुविधार्थ टायलेल्ट्स इत्यादि से जनित घरेलू जल–मल के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त क्षमता का सैप्टिक टैंक सोकपिट की समुचित व्यवस्था की जाये।
- पेट्रोल पम्प द्वारा हैजार्डस एण्ड अदर वेस्ट्स (मैनेजमेन्ट एण्ड ट्रान्स बाउन्ड्री मूवमेन्ट्स) रूल्स, 2016, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट आफ हैजार्डस केमिकल रूल्स,1989 एवं पब्लिक लाइबिलिटी इन्श्योरेन्स एक्ट,1991, ई–वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स,2016 तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स,2016 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
- पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल का भू–प्रयोग सक्षम अधिकारी से राजस्व संहिता की धारा–80'सी' में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को तीन माह के भीतर प्रेषित किया जाये।
- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जाये।
- पेट्रोल पम्प द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु डी0 जी0 सेट की स्थापना किये जाने की दशा में ध्वनि प्रदूषण की रोक–थाम हेतु कैनोपी / एकास्टिक इन्क्लोजर व साइलेन्सर की व्यवस्था स्थापित करने के साथ गैसीय उत्सर्जन हेतु डी0जी0सेट के एक्झास्ट पर निकटतम भवन छत से 0.2√ के.वी.ए. मीटर ऊँची चिमनी स्थापित किया जाये।
- इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन परिसर की बाउण्ड्री के किनारे सुगंधित प्रजाति के वृक्षो का प्रचुर मात्रा में रोपण किया जाना अनिवार्य है।
- विद्युत बाधा की स्थिति में कैप्टिव पावर जनरेशन हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले डी.जी.सैट कैनोपी युक्त होना अनिवार्य है एवं यथा सम्भव ईको फैण्डली वातावरण उपलब्धता हेतु सोलर पावर तथा इन्वर्टर पावर को प्रयुक्त किये जाने हेतु अपेक्षित प्रयास आवश्यक होगा।
- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट द्वारा स्थापनार्थ सहमति एवं संचालन हेतु सहमति जल / वायु प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
- माननीय एनजीटी द्वारा दिये गये आदेशों / निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

उपरोक्त शर्तो के प्रतिबन्ध के अधीन इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन स्थापनार्थ सशर्त अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

d:\uppcb banda ro office new\petrol pump noc\petrol pump letter pad.doc

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री) / Sr. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर–208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020
11/03/2022

34–ए निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल,
न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर, गेट नं0–2
चिल्ला रोड, बाँदा (उ0प्र0) - 210001
दूरभाष : 05192-220048
ई–मेल : robanda@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

34-A, Near Sant Tulsi Publice School,
New Bulding, Indira Nagar Gate no-2
Chilla Road Banda (U.P.) -210001
Phone : 0592-220048
E-mail : robandao@uppcb.com
Wabsite : www.uppcb.com